IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
IJARSCT
Impact Factor: 7.53
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Volume 4, Issue 1, March 2024

बाल श्रम की समस्या और बाल स्वास्थ्य पर न्यायिक निर्णय

क्षेत्रपाल सिंह शाक्य, रिसर्च स्कॉलर, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)
डॉ नीति पांडे (प्राचार्य) माधव विधि महाविद्यालय, ग्वालियर(गाइड)

प्रस्तावना-

बाल मजदूरी का सबसे अधिक भयावह रूप है बालकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दर्शाये गए आंकड़े बताते हैं कि प्रतिदिन 1500 से अधिक बच्चे कारखानों में काम करने के कारण सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बच्चों का शरीर कमजोर और बढ़ता हुआ होता है। उनसे ज्यादा शारीरिक काम लेने से उनका रूक जाता है काम की जगह पर उन्हें खरतनाक मशीनों व रसायनों से काम करवाया जाता है। बच्चा आगे चलकर या तो हेमशा बीमार रहेगा या इनता कमजोर की सामान्य जीवन ही जी पायेगा। वह अपनी रोजी भी नहीं कमा सकेगा। साथ ही वह अपनी सामान्य उम्र से कम जियेगा। यह कारण है की बच्चों से उस उम्र में काम लेने वालों को ऐसा करने से रोकना चाहिए। बच्चों से कुछ तरह के काम करवाने पर कानून पूरी पाबन्दी लगाता है। कानून यह भी बताता है की बच्चों से क्या और कहाँ काम करवाया जा सकता है। इन कामों के अलावा अगर कहीं काम लिया जाए तो कानून काम लेने वालों को सजा देगा ।

बच्चों से यानी 14 साल से कम उम्र के तहत व्यक्तियों से काम करवाने से संबंधित कानून है । बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986) इस कानून 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नीचे लिखे कामों के लिए नहीं रखा जा सकता है: रेलगाड़ी रेलगाड़ी से यात्री, सामन या डाक ले जाने के लिए, रेलगाड़ी के इंजिन में आधे जले कोयले उठाने, में जले कोयले की राख साफ करने या रेल स्टेशन की सीमा में कोई भवन बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन में चाय व खाने पीने के सामान की दूकान पर, जहाँ एक से दुसरे प्लेटफार्म पर बार-बार आना- जाना पड़ता हो ।

रेलवे स्टेशन या रेल लाईन बनाने के काम के लिए, बंदरगाहों पर किसी भी तरह के काम के लिए, अल्पकालीन (टेम्परेरी) लाईसेंस वाली पटाखों की दूकानों में पटाखे बेचने का काम कुछ कामों के कारखानों

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, March 2024

और कारखानों के परिसरों में बच्चों को लगाना मना है। ये काम हैं : बीड़ी बनाना, गलीचे बुनना, सीमेंट कारखाने में, सीमेंट बनाना या थैलों में भरना, कपड़ा बुनाई, छपाई व रंगाई, माचिस, पटाखे या बारूद बनाना, अबरक (अभ्रक या माईका) काटना या तोड़ना चमड़ा या लाख बनाना साबुन बुनाई, छपाई व रंगाई, माचिस, पटाखे या बारूद बनाना ऊन की सफाई, मकान, सड़क, बांध, आदि बनाना, स्लेट पेंसिलें बनानी व पैकबंद करनी, गोमेद की वस्तुएं बनाना कोई ऐसा काम जिसमें लैंड, पारा मैंगनीज, क्रोमियम, अरगजी, बेंजीन, कीड़े नाशक दवाएँ और एस्बेस्टस जैसे जहरीले धातु और पदार्थ उपयोग में लाये जाते हों ।

कानूनी कार्यवाही के कारण

ऊपर बताए कामों में से अधिकांश काम ऐसे हैं जिनसे फेफड़ों की बीमारी होने का डर होता है - हवा के साथ-साथ फेफड़ों में तम्बाकू, धुल, ऊन, रसायन आदि के छोटे- छोटे कण भी जाते है ये फेफड़ों को कमजोर बनाते हैं इससे तपेदिक (टी. बी.) जैसी बीमारी भी होती है जिसका अगर समय से और ठीक इलाज न कराया जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती हैअगर टी. बी. ना भी हो तब भी बच्चों के फेफड़े और बाकी शरीर इतने कमजोर हो जाते हैं की वे जब बड़े हो जाते हैं तब भी मेहनत का कोई काम नहीं कर पाते हैं। उनके शरीर में जो कमजोरी आ जाती है वह इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पाती है। ऐसे बच्चों की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। बच्चों के इस भयानक और परेशान करने वाली हालत से बचाने के लिए ही कानून उन लोगों को दंड देता है जो बच्चों से काम लेते हैं। परंतु कानून ऐसी जगहों पर कोई दुसरे हल्के – फूल्केकाम करने के लिए रोक नहीं लगाता ।

बच्चे जब सफाई करते हैं तब भी साँस में सीमेंट के छोटे-छोटे कणों से नहीं बच पाते हैं। ये सीमेंट के कण उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं मतलब यह है की अगर कानूनन ऐसे काम में कोई रोक नहीं भी है तब भी बच्चों को बीमारी और कमजोर से बचाने के लिए ऐसी जगहों पर न भेजें। फिर काम पर रखने वाले

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, March 2024

बच्चों से क्या करवाते हैं और क्या नहीं, इसकी निगरानी तो आप रख नहीं पायेगें। बेहतर यही होगा की ऐसी खरतनाक जगहों पर बच्चों को नभेजें ।

रोकथाम हेतु विधिक प्रावधान

बच्चे काफी नाजुक होते हैं इसलिए उनके लिए किसी भी तरह का काम ठीक नहीं होता है । आपको चाहिए कि बच्चों को काम पर भेजने की बजाय उन्हें बालवाड़ी या स्कूलों में भेजें। अगर बच्चा 4थी, 5वीं तक पढ़ ले तो उसमें इतनी समझ तो आ ही जाएगी की कौन सा काम स्वास्थ के लिए खराब है। साथ ही वह लिख सकेगा और अपनी मेहनत के सही दाम मांग सकेगा।?कानून की मनाही के बावजूद काम करवाने वाले ठेकेदार या मालिक को तीन महीने से एक साल तक की कैद हो सकती हैरूपये 10,000/- से लेकर रूपये 20,000/- तक का जुर्माना भी हो सकता है।अगर उसने जुर्म दुबारा किया तो सजा बढ़कर छः महीने से दो साल की भी हो सकती है।

लाला बेलीराम ने अपने साबुन बनाने के कारखाने में 14 साल से छोटे की बच्चों को काम पर लगा रखा था। वह उनको 200/- रूपये महीने की पगार देता था और दिन में 10-12 घंटे काम करवाता था फैक्ट्रियों का काम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम की इजाजत नहीं है। यानी 19वाँ साल लगने से पहले बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता है।

फैक्ट्री अधिनियम 1948 ने फैक्ट्रीयों में बच्चों से काम लेने पर रोक लगाई है। फैक्ट्री मालिक की यह जिम्मेदारी है की किसी को भी काम पर लगाने से पहले वहउसकी सही उम्र का पता लगाए। कोई अगर बच्चों से काम लेने के जुर्म में दोषी ठहराया जाता है तो वह यह कहकर नहीं छूट सकेगा की भरती करते समय बच्चे ने अपनी उम्र 14 साल से अधिक बताई थी 114 से 18 वर्ष के बीच की उम्र के "अवयस्क बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने दिया जा सकता है। परन्तु उसके लिए मालिक को किसी डाक्टर से यह लिखवाना जरूरी है की बालक की उम्र 14 वर्ष से अधिक है और वह शारीरिक रूप से काम करने के लिए तंदुरूस्त और स्वस्थ है ।

अवयस्क बच्चों से फैक्ट्रियों में इन शर्तों पर काम लिया जा सकता है। दिन में 4 घंटे से ज्यादा काम न लिया जाए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम नलिया जाए ।

ज्यादा से ज्यादा दो पालियों (शिफ्ट) में ही काम लिया जाए । एक दिन में केवल एक ही फैक्ट्री में काम करवाया जाए। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाए। अगर उनसे छुट्टी वाले दिन कामम लिया जाता है तो उन्हें छुट्टी के दिन से तीन दिन पहले या बाद में एक छुट्टी दी जाती चाहिए । सभी माता-पिता को चाहिए की अपने बच्चों पर काम का ज्यादा बोझ न डालें। कानूनभी उसकी इजाजत नहीं देता है। बच्चों के अनुसार मशीनों पर भी काम करने की पाबंदी है । कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को इंजिन, मोटर या इस प्रकार के चलने वाले यंत्रों (मशीनरी) में तेल डालने, सफाई करने या दूसरे किसी काम को करने की मनाही है .18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति किसी खतरनाक मशीन पर तभी काम कर सकता है अगर उसे अच्छी तरह से मशीन चलाना सिखाया गया हो, या वह मशीन के किसी जानकर के साथ मशीन चलाना सिख रहा हो ।

राजकुमार ने अपनी छपाई की प्रेस में दूसरी मशीनों के अलावा कागज काटने की मशीन भी लगाई हुई थी। उसने प्रेस में एक 14 साल के लड़के सलीम को "हैल्पर" की नौकरी पर रखा । दिन में सलीम कागज के बंडल इधर से उधर रखता था। एक दिन राजकुमार ने सलीम से कहा की रात में प्रेस बंद होने पर कागज काटने वाली मशीन की सफाई कर रहा था तो धारा वाली छूरी अचानक गिर पड़ी और सलीम की पूरी अंगुलियाँ कट गई। सलीम के चिल्लाने पर पड़ोसी कारखाने के लोगों ने उसे अस्पताल पहुँचाया। वहाँ किसी ने प्रेस के मालिक राजकुमार की शिकायत कर दी। राजकुमार को छः महीने कैद की सजा हुई क्योंकि उसने 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को खतरनाक मशीन के काम पर लगाया था। आज की मशीनरी युग में की तरह की नई-नई फैक्ट्रियाँ खुल रही है। यहाँ कई ऐसी मशीने होती है जिनमें थोड़ी भी लापरवाही से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अपने बच्चों को किसी ऐसी जगह काम पर न भेजें जहाँ ऐसी दुर्घटना होने की सम्भावना हो। अगर किसी भी गलती से कोई दुर्घटना घटी तो आपका बच्चा सारी जिन्दगी की लिए हाथ, पैर या शरीर का कोई दूसरा अंग खो बैठेगा। उसे दूसरों की भरोसे जीवन काटना पड़ेगा। कानून भी बच्चों से इस तरह के काम करवाने की

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, March 2024

अनुमति नहीं देता है। दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जाती है। इन सभी मामलों में कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। यह जरूरी नहीं की कोई श्रम अधिकारी या बच्चों का रिश्तेदार ही शिकायत लिखवाये। ऐसी शिकायत का कोई निर्धारित रूप फार्म नहीं है। यह किसी कागज पर सारी जानकारी लिखकर या मुँह जबानी भी की जा सकती है। यह शिकायत अपने इलाके के मेट्रोपोलिटन या पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में की जा सकती है । बचपन हर व्यक्ति के जीवन की अनमोल धरोहर होती है। उम्र के किसी भी मोड़ पर जब उस उन्मुक्त और निश्चिन्त बचपन की याद आती है तो एक मधुर और स्निग्ध मुस्कान हमारे होठों पर छा जाती है। लेकिन जब हे अपने समाज में ही सड़क पर आते जाते, रेलवे प्लेटफार्म पर या गलियों में नजर फेंकते हैं तो अनगिनत बच्चे कूड़ा कर्कट और गंदगी की ढेर में कागज के टुकड़े बटोरते या सामान ढोते या किसी सेठ साहूकार के यहाँ काम करते दिख पड़ेगें। उसी गंदगी की ढेर में जिधर नजर पड़ते ही हम अपनी आंखे फेर लेते हैं, ये बच्चे जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि वे बाल मजदूर की श्रेणी में आते हैं, आज उनकी समस्या हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी है । भारत में अनेक बच्चे 4 वर्ष की नाजुक उम्र से ही काम में लग जाते हैं। भारत में बाल मजदूरों की संख्या विश्व भर में सबसे अधिक है। इसका प्रमुख कारण माता-पिता में बच्चे के पालन पोषण एवं भविष्य के प्रति लापरवाही, जागरूकता की कमी, बच्चों को सही मार्गदर्शन का अभाव, अत्यधिक गरीबी, विस्थापन, प्यार, संरक्षण एवं देखभाल की कमी, खाना, कपड़ा एवं शिक्षा की कमी इत्यादि है। अगर देखा जाए तो ये बच्चे जो कमा कर लाते हैं वह नहीं के बराबर होता है। लेकिन गरीब माँ-बाप को ये संतुष्टि रहती है की उसका बच्चा कोई काम, हुनर या पेशा सीख रहा है जो उसके जीविकापार्जन के लिए काम आएगा । शुरू-शुरू में तो इन बाल मजदूरों को को कुछ वेतन नहीं मिलता है। कितने ही बाल मजदूर कालीन बुनाई, दस्तकारी एवं शिल्पकला एवं माचिस उद्योग में बस एक वक्त खाना पाकर ही काम करते हैं । मालिक यह कहकर काम लेते है की काम में पारंगत होने पर उन्हें वेतन मिलेगा और इस तरह से शुरू होती है इनके अत्याचार एवं शोषण की कहानी। 1981 के जनगणना के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 13.6 करोड़ थी जबकि 1983 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में इनकीसंख्या बढ़कर 17.6 करोड़ हो गई। ऑपरेशनल रीसर्च ग्रुप ने अपना आंकड़ा 44

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, March 2024

करोड़ बतलाया है । श्रम मंत्री ने भारत में बाल मजदूरों की संख्या 20 करोड़ बताया है) अगस्त 1994) । ये सब आंकड़े समस्या की गंभीरता के सूचक हैं। सस्ते दर में बाल मजदूरों की उपलब्धता एवं कानून की ढील से बेरोजगारी की समस्या भी विकराल रूप धारण कर रही है। ऐसे देश में जहाँ 36 करोड़ युवक-युवतियों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं वहीं 44 करोड़ बाल मजदूरों के लिए साधन कहाँ से जुट पड़ते हैं। सेठ साहूकार और ठेकेदार इनका शोषण कर भरपूर फायदा उठा रहे हैं। उनका दावा है कि बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जहाँ बच्चे अपने कोमल एवं नाजुक हाथों से ज्यादा कुशलता से काम कर सकते हैं। जैसे माचिस के तिल्ली में मसाला लगाना, बीड़ी में तम्बाकू भरना, कालीन बुनना इत्यादि। लेकिन इन्हीं पेशों एवं उद्योगों धंधो में काम करते करते वे कई प्रकार के बीमरियों के शिकार हो जाते हैं जैसे तपेदिक, श्वासनली शोथ, दमा, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, दुर्घटना के शिकार होकर अपनी जान भी गवां बैठते हैं। बच्चों को ऐसे धंधों में लगाने के अन्य कारण हैं कम वेतन एवं मुआवजा, बच्चों के कानूनी संरक्षण का अभाव, बच्चों में प्रतिरोध की कम क्षमता, अनुशासन इत्यादि, और यदि बाल मजदूरी पर पूर्ण रोक लगा दी जाए तो सबसे अधिक हानि ऐसे ठेकेदारों को ही होगी । इन बाल मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय अमानवीय एवं अप्राकृतिक है। उन्हें दिन भर में औसतन 12 घंटे तक काम करना पड़ता है जबकि उनका मासिक वेतन 90-100 रू. मासिक है । अतः उनके काम की स्थिति में सुधार लाना अपरिहार्य है तभी हम उन्हें जैविक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह सुधार दो तरह से हो सकते हैं। पहला ऐसे बाल मजदूर जो जोखिम भरे काम में लगे हुए हैं, उन्हें मुक्त कराना एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना । इसके लिए हमें समाज में नैतिक एवं सामाजिक जागरूकता लानी होगी। हमें ये देखना होगा की क्यों ये बच्चे विस्थापित होकर सड़कों पर पहुँच गए हैं। उसके पीछे असली कारण क्या हैं। गरीबी एवं विस्थापन को दूर करने के लिए हमे भूमि सुधार, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराना, बच्चों के शिक्षा का उचित प्रबंध करना, बच्चों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल देना, माता-पिता एवं समाज में बच्चों के अधिकार के प्रति सामाजिक चेतना एवं जागरूकता लाना शामिल है। दूसरी श्रेणी में ऐसे बाल मजदूर हैं जो

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, March 2024

किसी उद्योग धंधे में लगकर कुशलता हासिल कर रहे हैं और अपने परिवार एवं भाई बहनों के लिए आर्थिक अवलंब एवं सहारा हैं। ऐसे बाल मजदूर जो किसी ऐसे धंधे में लगे हैं जो खतरनाक नहीं है एवं उनके स्वास्थ्य को भी हानि पहुँच रहा हो, उनके कार्य की परिस्थिति एवं शर्तों में सुधार लाना। ऐसे बच्चे जो पहले से ही काम में लगे हुए हैं उनके व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर मिलना चाहिए। कार्य में कुशलता के साथ-साथ शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था हो। जहाँ काम के बाद बच्चा 2-3 घंटे कुछ पढ़ना लिखना सीख सके । बाल मजदूरों को शिक्षा के अलावा चिकित्सा एवं डाक्टरी सहायता की सुविधा प्राप्त हो । उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए खेलकूद, मनोरंजन के साधन एवं अवकाश एवं फुर्सत के क्षण पर्याय हों । इस प्रकार काम के साथ- साथ कौशल, शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान को समग्रित करना है । नियोक्ता ठेकेदारों एवं मालिकों में इन बच्चों के प्रति उनकी से उन्हें अवगत कराना जरूरी है । ऐसे नियोक्ता जो अपने बाल मजदूरों के प्रति जिम्मेवारी हैं उन्हें सरकार उत्पादन शुल्क एवं टैक्स में छूट देकर उत्साहित कर सकती है। नियोक्ताओं द्वारा बाल मजदूरों के लिए अतिरिक्त पोषाहार की व्यवस्था हो। उभरती हुए पंचायती राज संस्थाएँ भी बाल मजदूरों के सुरक्षा पर कड़ी नजर रख सकती है । इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु उद्योग धंधे, कृषि हस्तकला एवं पुराने घरेलू उद्योग धंधो को पुनर्जीवित करना, एवं उन्हें नवीन एवं आधुनिक तकनीक से जोड़ना इसके दूरगामी उपाय हो सकते हैं। प्राथमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा कीसर्वव्यापकता बाल मजदूरी की समस्या को सुलझाने में और कारगार सिद्ध हो सकता है । इस प्रकार हम देखते हैं की बाल मजदूरी की समस्या का निदान मात्र कानून बनाने से ही नहीं हो सकता बल्कि लोगों, समाज, गैर सरकारी एवं सरकारी संस्थाओं के मिले जुले प्रयास सी ही हो सकता है। अतः सम्पूर्ण समाज को गंभीरतापूर्वक इसके निराकरण एवं रोकथाम के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना है जिससे सड़कों एवं गलियों में ऐसे बच्चों की बढ़ोतरी को कम किया जा सके।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, March 2024

निष्कर्ष

भारतीय खान अधिनियम 1923, तेरह वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगानें से मना करता है हालाकि कुछ गलत व्याख्याओं की वजह से तेरह वर्ष से कम आयु के बच्चे तक काम करते रहे। अतः यह अधिनियम 1926 से कार्य रूप में प्रभावी हो सका । स्वतंत्रता के बाद 1952 में आया खान अधिनियम यह बताता है की पन्द्रह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति खान के बाहर से काम पर नहीं लगाया जा सकता है। और 16 साल से कम आयु का व्यक्ति खान के अंदर काम पर नहीं जा सकता हैं । संशोधन अधिनियम 1983 के बावजूद, जहाँ पर काम की आयु 18 वर्ष और अप्रेंटिस की आयु 16 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है, वहाँ पर आज भी 14 साल से छोटी आयु के बच्चे काम पर लगाए जा रहें है।

सन 1971 और 1981 जनगणना से प्राप्त अधिकृत जानकारी, अक्सर चौंकाने वाली रही है । यहाँ पर यह आश्चर्य की बात है की खानों के बाहर एवं भीतर काम करने वालों के संख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है । हालाँकि, हम दावे से यह कह सकते हैं की बाल श्रमिक माइक एवं कोयला खानों में सबसे ज्यादा कार्यरत हैं और इसके बाद चूना खनन आदि में संलग्न हैं । हजारों बच्चों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए हम स्लेट उद्योग को एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं।

भूखमरी, गरीबी, अकाल तथा मूंशियों का शोषण इन असहाय लोगों के जीवन का सतत अंग है । संघर्ष इन लोगों के जीवन के लिए अलंघनीय हिस्से के रूप ढल चुका है इसी कारण ये लोग कोई विरोध नहीं कर सकते, यहा तक की बाहरी मदद के लिए रो भी नहीं सकते । यह एक क्रूरता पूर्ण अन्याय तथा इस आयु के लिए अविश्वसनीय स्वरुप है। बारह साल या इससे भी छोटी आयु के बच्चों को इस जानलेवा काम पर बलपूर्वक लगाया जाता है जिस तरह से उनके माता-पिता, भाई बहन मर हैं। वे केवल यही सीख सकते हैं की धुल, थकावट और अमनिवियता के कारण उन्हें भी जल्दी ही मरना है।

एक बात कही जा सकती है कि बाल श्रम का महापाप अपने आप में खतरे का सूचक हो गया है और इसके साथ ही कार्यरत बच्चों के महाशोषण के भरे घड़े का प्रकटाव है। उस देश में, जहाँ करोड़ों व्यस्क लोग

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, March 2024

बेरोजगार हैं जो कोई भी काम करने को तैयार हैं । वहाँ बच्चों को काम पर क्यों लगाया जाता है या उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ? इस तथ्य की वास्तविकता यह है की दो आयु समूहों के बीच में कदा मुकाबला है। जो की सीमित एवं रोजगार बाजार में सरकते रोजगार अवसरों की कृपा का फल है। जो की उन बच्चों या उनके माता- पिताओं को लम्बे समयों के लिए श्रम करने को बाध्य करता है। यह परस्पर विरोधी तथ्य, जहाँ एक ओर उनकी मजदूरी दर को घटाता है, वहीं वयस्कों के लिए रोजगार के अवसरों को भी कम करता है । विद्यमान बाल श्रम के चाहे कुछ भी परिणाम हो पर यह मुद्दा न केवल बच्चों के स्वंय के लिए व्यापक ध्यान देने योग्य है बल्कि माता-पिता, समाज तथा देश के लिए भी संवेदनशील मुद्दा है ।